नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में
2022 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 30

कु0. संगीता खन्ना और अन्य पुनरीक्षणकर्ता
बनाम

राम भरत प्रतिवादी

श्री सागर कोठारी, अधिवक्ता, पुनरीक्षणकर्ता के लिए। प्रतिवादी की ओर से श्री परीक्षित सैनी, अधिवक्ता।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे (मौखिक)
यह वादी का पुनरीक्षण है, जिसे इस न्यायालय ने 14 जून 2022 के एक आदेश द्वारा स्वीकार किया था।

2. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि यदि पुनरीक्षण पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3. पूर्वोक्त आम सहमति के मद्देनजर, कल अधिवक्ताओं को विस्तार से कल भी सुना गया और आज भी मामला विचाराधीन है।

4. वादी ने सीपीसी की धारा 115 के तहत वर्तमान सिविल पुनरीक्षण को चुनौती दी है, जिसमें दिनांक 12 अप्रैल 2022 के सिविल जज सीनियर डिवीजन हरिद्वार के आक्षेपित आदेश के तहत वादी का आवेदन पत्र संख्या 88 (सी) 2 सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के अन्तर्गत खारिज कर दिया गया था।

5. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उनके आवेदन पत्र संख्या 88 (सी) (2) की अस्वीकृति 1 जुलाई 1977 से किए गए विधायी संशोधन का मूल उद्देश्य और मंशा का उल्लघंन है, जिसके परिणामस्वरूप सीपीसी के आदेश 18 में नियम 3ए को सम्मिलित किया गया था, का उन्मूलन करने के लिए पूरी तरह से एक अलग उद्देश्य पूरा किया जाना था। नियमित दीवानी कार्यवाहियों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग, जो उस उद्देश्य के लिए विद्वान विचारण न्यायालय या किसी अन्य नियमित दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

6. पुनरीक्षणकर्ता की शिकायत यह है कि 2019 के प्रमुख सिविल सूट संख्या 274 में, प्रतिवादियों ने उपस्थिति दर्ज की है, और गवाहों की सूची प्रस्तुत की है, जिसे वे अपनी मौखिक गवाही दर्ज करके अपने मामले के समर्थन में पेश करना चाहते हैं। उनके तर्क के समर्थन में, और गवाहों की सूची के अनुसार DW1 और DW2 को स्वतंत्र गवाह कहा गया, जो स्वयं वाद के पक्षकार प्रतिवादी नहीं थे। गवाहों की सूची में एकमात्र प्रतिवादी का नाम सीरियल नंबर 3 पर रखा गया था, जिसे प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में उठाए गए अपने तर्कों के समर्थन में गवाह के रूप में शामिल किया जाना था।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि DW3 यानी मुकदमे की कार्यवाही के लिए एकमात्र प्रतिवादी के साक्ष्य को जोड़ने की अनुमति, DW1 और DW2 के बयान की रिकॉर्डिंग के बाद पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए को नीचे उद्धृत किया गया है:-

3क—पक्षकार का अन्य साक्षियों से पहले उपसंजात होना— जहां कोई पक्षकार स्वयं कोई साक्षी के स्प में उपसंजात होना चाहता है वहां वह उसकी ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने के पहले उपसंजात होगा, किन्तु यदि न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाऐंगे, उसे पश्चात्वर्ती प्रक्रम में स्वंय अपने साक्षी के रूप में उपसंजता होने के लिए अनुज्ञात करे तो वह बाद में उपस्थित हो सकेगा।

8. सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत निहित प्रावधान, यह प्रदान करता है कि कोई भी पक्ष मौखिक साक्ष्य पेश कर सकता है, लेकिन यह उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य, यदि कोई हो, के निष्कर्ष के बाद ही होगा, और यह स्पष्ट रूप से अलग शीर्षक के तहत अनुमति देता है। अधिवक्ता कहते हैं कि कार्यवाही के एक गवाह पक्ष द्वारा बयान की रिकॉर्डिंग, बाद के चरण में केवल तब तक अनुमत हो सकती है, जब तक कि अदालत गवाहों को बाद में जांच करने की अनुमति देने के बाद, उन कारणों को दर्ज करने के लिए कारण बताए।

9. सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए का मूल उद्देश्य, जैसा कि 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा 1 फरवरी 1977 से डाला गया था, इसका मूल उद्देश्य कानून अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचना है, जिसका आमतौर पर सहारा लिया जाता है सिविल न्यायालयों द्वारा, उन प्रक्रियाओं में, जो सामान्य नियम सिविल के प्रावधानों के साथ पढ़ने के लिए CPC के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

10. पुनरीक्षणवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि गवाहों की रिकॉर्डिंग, और विशेष रूप से, प्रतिवादी, यहाँ, जिसे डीडब्ल्यू 3 दिखाया गया था, केवल उसके द्वारा पेश किए गए गवाहों की सूची में, उसे दर्ज करने के बाद, अपना बयान दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, अन्य प्रतिवादी गवाहों यानी डीडब्ल्यू1 और डीडब्ल्यू2 के मौखिक बयान, जो मुकदमे की कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे; क्योंकि एक संभावित घटना में अगर एकमात्र प्रतिवादी यानी डीडब्ल्यू3 के गवाहों की रिकॉर्डिंग को ले जाने की अनुमति दी जाती है, तो न्यायालय द्वारा पूर्व अनुमति दिए जाने के अभाव में, यह बल्कि कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, क्योंकि उनका तर्क है कि यदि इस तरह की प्रक्रियात्मक अनुमति को एकमात्र प्रतिवादी DW3 के बयान को रिकॉर्ड करने की अनुमति देकर ओवरराइड करने की अनुमति दी जाती है, बाद में DW1 और DW2 के बयान की रिकॉर्डिंग के बाद, जो मुकदमे के प्रतिवादी नहीं थे, ऐसा करना 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा किए गए संशोधन के उद्देश्यों का उल्लघंन होगा।

11. अपने दलीलों के समर्थन में, वह प्रस्तुत करते है कि पूर्वोक्त प्रावधानों को सम्मिलित करने का बहुत ही बुनियादी विधायी उद्देश्य 54वें विधि आयोग की रिपोर्ट से संदर्भ मिलता है, जिसके तहत सीपीसी में कुछ संशोधनों को शामिल करने की सिफारिश की थी,जैसा कि इसके पैराग्राफ 18.4 में निहित है, जिसे यहां उद्धृत किया गया है:-
"18.4 हमें लगता है कि 14वीं रिपोर्ट में अनुशंसित संशोधन को लागू किया जाना चाहिए। चूंकि प्रस्तावित नियम सामान्य मामलों तक ही सीमित होगा, मामले की विशेष विशेषताओं से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में वादियों द्वारा किए गए लगातार और कुख्यात कदाचार के संबंध में - कदाचार जो बेईमानी की सीमा है - हम सोचते हैं कि एक प्रावधान सम्मिलित करने का समय आ गया है।

12. वास्तव में, यदि विधि आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाए तो, सीपीसी के आदेश 18 में नियम 3ए को सम्मिलित करने का उद्देश्य, एक विशेष प्रक्रियात्मक उद्देश्य के साथ पूरा किया जाना था ताकि संभावित प्रक्रियात्मक कदाचार या कार्यवाही के पक्षकारों के नापाक कार्य को समाप्त किया जा सके, जो मुख्य प्रतिवादी के बयान की बाद की रिकॉर्डिंग के परिणामस्वरूप, DW1 और DW2 के गवाहों की रिकॉर्डिंग के बाद, अन्य बचाव पक्ष के गवाहों के बयान की पिछली कमी को दूर करने का प्रभाव हो सकता है।

13. यह सीपीसी के आदेश 18 के नियम 3ए के तहत किए गए सम्मिलन के मूल उद्देश्य को धोखा दे सकता है, क्योंकि इसका उपयोग मुख्य प्रतिवादी द्वारा डीडब्ल्यू1 और डीडब्ल्यू2 द्वारा दर्ज किए गए बयान की कमियों को भरने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई अन्य ऐसे प्रतिवादी गवाह, जिन्होंने सिविल सूट की कार्यवाही के लिए मुख्य प्रतिवादी के बयान की रिकॉर्डिंग से पहले अपना बयान दर्ज किया है।

14. कानून इस क्षेत्र में पूरी तरह प्रतिबन्धित नहीं करता है, कि प्रतिवादी के अन्य गवाहों के गवाहों की रिकॉर्डिंग के बाद, प्रतिवादी खुद अपना बयान दर्ज कर सकता है, लेकिन प्रतिवादी के बयान की रिकॉर्डिंग की अनुमति केवल इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि अदालत ने अनुमति दी है और DW3 के रूप में एकमात्र प्रतिवादी के गवाहों के बयान को रिकॉर्ड किया जाना हो।

15. वर्तमान मामले विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि DW1 एवं DW2 के बयान दर्ज होने के पश्चात् DW3 ने अपने बयान दर्ज कराने से पूर्व न्यायालय से कोई अनुमति ली थी।

16. इसलिए DW3 का यह कथन कि सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत उसके आवेदन को गलत तरीके से नीचे के विद्वान न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था माना नहीं जा सकता।

17. यदि आक्षेपित आदेश में जो कारण निर्दिष्ट किए गए हैं, उस पर विचार किया जाता है, विशेष रूप से, उस कारण के संदर्भ में, जो आक्षेपित आदेश के पैरा 7 में दिया गया है, वास्तव में विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 18 के नियम 3ए के दूसरे भाग के निहितार्थों पर विचार नहीं किया है, कि यह पूर्व शर्त की संतुष्टि है कि, कारण बताए जाने के बाद ही अनुमति देने के लिए, बयान की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने के लिए गवाह, एकमात्र प्रतिवादी DW3 के रूप में, और इस तरह का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, कि आदेश 18 CPC के नियम 3A के दूसरे भाग का, DW3 को दीवानी की कार्यवाही में अपना बयान दर्ज करने की अनुमति देने से पहले, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा कभी भी अनुपालन किया गया था। 2019 का मुकदमा संख्या 274, और ऐसा कोई निष्कर्ष भी नहीं, जैसा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया है, और एकमात्र तर्क, जो सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए दिया गया है, यह है कि वादी हमेशा कार्यवाही के बाद के चरण में गवाह से जिरह के अवसर का लाभ उठा सकता है।

18. विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई यह उद्घघोषणा, कि वादी डीडब्ल्यू$_3$ के बयानों के दर्ज होने के पश्चात्, डीडब्ल्यू$_3$ की जिरह कर सकता है, यह सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के निहत प्रावधानों का उल्लघंन होगा और डीडब्ल्यू$_1$ एवं डीडब्ल्यू$_2$ के बयानों के दर्ज होने के पश्चात् डीडब्ल्यू$_3$ जो कि मुख्य प्रतिवादी भी न हो, के बयान दर्ज होंगे, ऐसा आदेश 18 नियम 3ए की मंशा नहीं है।

19. इसलिए, दिनांक 16 अप्रैल 2022 के विवादित आदेश में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट आधार की पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए एक अपवाद का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त कमी वादी को बाद में DW3 की जिरह करने की अनुमति देकर समझौता किया जा सकता है, यह माना नहीं जा सकता। इस न्यायालय का विचार है कि, सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत निहित प्रावधानों द्वारा परिकल्पित मूल उद्देश्य के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

20. पुनरीक्षणवादी के वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में दो निर्णयों का उल्लेख किया है 2000 SCC ऑनलाइन बॉम्बे पेज 33 "संजय नारायणराव बर्डे और अन्य बनाम विमल केशराव बलराम व अन्य", जिसमें, पैरा 12 का उल्लेख करते हुए, यह कहा गया है कि सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए प्रकृति में निर्देशिका है, और यह भी उसी निर्णय में बताया गया ह कि सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के का दूसरा भाग न्यायालय की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य करता है।

21. इसलिए, जिस प्रश्न का उत्तर बॉम्बे उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिया जाना था, उसे फैसले के पैराग्राफ 5 में बताया गया था, इस संबंध में कि सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत प्रावधानों का क्या प्रभाव होगा गवाहों की बाद की परीक्षा के प्रभाव के रूप में, जो पक्षों द्वारा अपनी स्वयं की परीक्षा की जा सकती है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 5 को यहां उद्धृत किया गया है: -

5. इस प्रकार विचारार्थ जो प्रश्न उठते हैं वे हैं-

(i) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के नियम 3-ए के प्रावधान पूर्णतः अनिवार्य हैं?

(ii) क्या गवाहों के परीक्षण के बाद किया गया आवेदन पार्टी द्वारा स्वयं की परीक्षा के लिए किया जा सकता है? और

(iii) क्या न्यायालय ऐसे आवेदन को अनुमति देने की शक्ति है?

22. इस प्रकार, पैरा 5 में दिए गए प्रश्न, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है,का उत्तर बाम्बे हाईकोर्ट की खण्ड पीठ ने पैरा 09 और 12 में इस प्रकार दिया गया है:-

"9। इस विचार को न केवल इस न्यायालय के, बल्कि अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा भी कई निर्णयों में समर्थित किया गया है। मैसर्स क्वालिटी रेस्तरां बनाम सतिंदर खन्ना, एआईआर 1979 पुंज और हर 72, के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा है कि सामान्यतः वह पक्षकार जो गवाही देना चाहता है उसे किसी भी अन्य गवाह से पूर्व अपनी गवाही करानी चाहिए। हालाँकि, नियम अनम्य नहीं है और न्यायालय की अनुमति से इससे विचलित किया जा सकता है। आगे यह देखा गया कि इस तरह की अनुमति हासिल करने के लिए क़ानून द्वारा कोई विशेष चरण निर्धारित या तय नहीं किया गया है और यह कि एक पक्ष शायद अत्यधिक सावधानी के मामले में अपना साक्ष्य शुरू करने के चरण में आवेदन कर सकता है और आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकता है और यदि पर्याप्त आधार बनाया गया हो, वह बाद में ऐसी अनुमति प्राप्त कर सकता है। मोहम्मद अकील बनाम अलीमुल्ला 1978 ऑल एलजे 547 और साथ ही रोमेश कुमार बनाम चनन लाल, MANU/JK/0002/1991: AIR 1991 J&K 4 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का विचार किया गया है। इसके अलावा, मगुनी देई बनाम गौरंगा साहू, MANU/OR/0065/1978: AIR 1978 Ori 228 के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी यह विचार किया है कि आदेश 18 के नियम 3-ए के प्रावधान, सी.पी.सी. निदेशात्मक प्रकृति के थे और यह कि उचित मामलों में, न्यायालय को पक्षकार को बाद के स्तर पर परीक्षण करने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है, भले ही पक्षकार ने न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की हो, जैसा कि नियम में प्रदान किया गया है।

12. इस प्रकार, इन सभी निर्णयों का अध्ययन करने के बाद, निम्नलिखित स्थिति उभरती है: -
कि, संहिता के आदेश 18 का नियम 3-ए निर्देशिका प्रकृति का है और इसमें शामिल एकमात्र अनिवार्य प्रावधान न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की सीमा तक है। निर्धारित सामान्य नियम यह है कि जो पक्षकार स्वयं की जांच करना चाहता है उसे किसी भी गवाह से पूछताछ करने से पहले पहले जांच करनी चाहिए। न्यायालय की अनुमति से ही इस नियम का उल्लंघन किया जा सकता है। किसी भी गवाह की परीक्षा से पहले अदालत की ऐसी अनुमति वांछनीय है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। ऐसी अनुमति बाद में भी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा की गई पूर्वोक्त टिप्पणियों के अलावा, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, नियम 3-ए के प्रावधान को लागू करके, विधानमंडल ने पार्टी के अधिकार के बीच साक्ष्य का नेतृत्व करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाया था जैसा वह चाहता है और का दुरुपयोग पहले से दर्ज साक्ष्य में हुई कमी को भरने का अधिकार। सामान्य नियम से विचलित होने की इच्छा रखने वाले पक्ष के लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाकर यह संतुलन प्राप्त किया गया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि पक्षकार अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रहा है और कमी को भरने के लिए उस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा।

23. हालांकि, सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के प्रावधानों को निर्देशिका प्रकृति के हैं, इस न्यायालय का मानना है कि, यदि उक्त निर्णय के पैरा 12 के निहितार्थों को ध्यान में रखा जाता है, अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, जो कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे, आदेश के तहत निहित प्रावधानों का दूसरा भाग, मुख्य गवाह के बयान दर्ज न करने पर कानून विशेष रूप से रोक नहीं लगाता है। सीपीसी का 18 नियम 3ए का दूसरा भाग(ऊपर उद्धृत), प्रकृति में अनिवार्य होगा, कि इस प्रकार की अनुमति केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा दी जा सकती है, जो विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा विशेष रूप से विचार की गई पूर्व शर्त की संतुष्टि के अधीन है। सीपीसी के आदेश 18 के नियम 3ए के अनुसार अदालत अन्य गवाहों की परीक्षा के बाद कारणों के दर्ज होने के पश्चात् गवाही करानी की अनुमति दे सकती है।

24. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने एक अन्य मामले का उल्लेख किया है जो बंबई उच्च न्यायालय का एक निर्णय है 1984 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे पृष्ठ 276 "हरि श्रवण सुतार बनाम रामदास तुकाराम पाटिल ", जिसमें लगभग वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी चर्चा समन्वयक के उक्त निर्णय के पैरा 4 और 5 में की गई है जो यहां उद्धृत है:-

"4। संहिता के आदेश 18 के नियम 3-ए के प्रावधानों को 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 104 द्वारा संहिता में सम्मिलित किया गया था। यह अदालत में पेश किए जाने वाले गवाहों के आदेश के संबंध में कानून का एक नियम निर्धारित करता है। यह वादी और प्रतिवादी दोनों पर लागू होता था।

5. ऐसे मामलों में जहां एक पक्ष, या तो वादी या प्रतिवादी, गवाह के रूप में उपस्थित होना चाहता है, इस नियम के प्रावधानों के लिए आवश्यक है कि ऐसा पक्ष किसी अन्य गवाह की जांच से पहले साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हो। नियम को अनिवार्य शर्तों में शामिल किया गया है और आमतौर पर, साक्ष्य प्रस्तुत करने के मामले को नियंत्रित करेगा। जब नियम से हटने की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय को कारणों को दर्ज करना होता है और ऐसे पक्ष को गवाह के रूप में परीक्षा के लिए वापस रखने की अनुमति देनी होती है। ऐसे मामले में वादी की अनुपलब्धता सहित कई कारण हो सकते हैं। हालांकि संहिता के आदेश 18 के नियम 3-ए के प्रावधान हितकर हैं और इस तरह लागू किए जाने का इरादा रखते हैं ताकि उनके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, ऐसे पक्ष को उपस्थित होने और स्वयं की जांच करने की अनुमति देने के लिए नियम स्वयं न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है। एक बाद का चरण। ऐसा प्रतीत होता है कि नियम का उद्देश्य पहले पक्ष का साक्ष्य होना प्रतीत होता है। यह पार्टी है जो मामले को उजागर कर सकती है। अन्य सबूतों द्वारा इस तरह का खुलासा पार्टी की जांच के बाद होना चाहिए। यदि पक्ष साक्षी है, तो संशोधित प्रावधान उसे प्रधानता प्रदान करता है और उस संबंध में प्राथमिकता को अधिनियमित करता है। आमतौर पर, उसी का पालन करना होगा।"

25. 1976 के संशोधित अधिनियम संख्या 104 द्वारा प्रविष्टि के प्रभाव से निपटने के दौरान, यह निर्धारित किया गया था कि इसे कानून के नियम के रूप में डाला गया है; गवाहों की रिकॉर्डिंग के आदेश के पहलू के संबंध में, जिनकी अदालत द्वारा जांच की जानी है, और किस चरण में, यदि उक्त प्रावधानों के निहितार्थ, जो प्रकृति में निर्देशिका के रूप में रखे गए हैं, पर विचार किया जाता है विवादित फैसले के पैराग्राफ 5 में की गई टिप्पणियों के आलोक में, इसने कानून के विपरीत एक अपवाद को उकेरा है कि आमतौर पर बाद के चरण में इस तरह के सबूत पेश करना, हालांकि यह कानून के तहत बिल्कुल वर्जित नहीं है, लेकिन वहां अदालत के न्यायिक आदेश से संतुष्ट होने के लिए एक पूर्व शर्त होनी चाहिए, जो मुकदमे के साथ समाप्त हो गई, और उन पूर्व शर्तों को पूरा करने के अभाव में, बयान दर्ज करने के लिए एक सबूत के रूप में प्रकट होने का नियम का उद्देश्य होगा सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के प्रावधानों का उल्लंघन, पूर्व अनुमति के अभाव में, ऐसी अनुमति के लिए अदालत द्वारा अपने कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद प्रदान किया गया है।

26. इसके जवाब में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा "प्रवेश कुमारी बनाम ऋषि प्रसाद" के मामलों में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया था। जैसा कि 1986 के एलजेआर पृष्ठ 221 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें न्यायालय निम्नलिखित प्रभाव के एक मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या वादी के साक्ष्य में आदेश 18 के नियम 3ए के आदेश 18 के तहत निहित अनिवार्य प्रावधानों के मद्देनजर कोई भार है या नहीं। वास्तव में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के निहितार्थ उस चरण में थे, जब सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के निहितार्थों पर विचार किया जा रहा था, वह चरण था, जब विद्वान ट्रायल कोर्ट पहले ही बयान दर्ज कर चुका था। डीडब्ल्यू 13, उसमें, सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत निहित प्रावधानों के उल्लंघन में, जो मुद्दा तब खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए था, वह यह था कि क्या अपीलीय स्तर पर, ऐसा बयान जो परीक्षण द्वारा दर्ज किया गया है CPC के आदेश 18 नियम 3A के तहत निहित प्रावधानों के उल्लंघन में अदालत, पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी मामले की सराहना करते हुए अपीलीय अदालत द्वारा साक्ष्य में पढ़ा और पढ़ा जा सकता है, वास्तव में खंडपीठ का यह निर्णय, पर आधारित था पूरी तरह से एक अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स, बल्कि यह एक स्थिति से निपटने में नहीं था सीपीसी के आदेश 18 के नियम 3ए के दूसरे भाग के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, एक गवाह को बयान दर्ज करने के बाद अपना बयान दर्ज करने की अनुमति देने से पहले अदालत की पूर्व अनुमति के क्या निहितार्थ होंगे। निर्णय के पैरा I में दिए गए प्रासंगिक तथ्य को यहां उद्धृत किया गया है:-

"1। वादी-अपीलकर्ताओं ने सूट संपत्ति के संबंध में शीर्षक की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया और प्रतिवादियों का उस पर कोई अधिकार और शीर्षक नहीं है। प्रतिवादियों ने वादी-अपीलार्थियों के दावे को नकारते हुए लिखित बयान दायर किया। मैं जो आदेश पारित करना चाहता हूं उसे देखते हुए तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। इतना ही कहने की आवश्यकता है कि वादी का पी.डब्लू. के रूप में परीक्षण किया गया था। 13 के बाद उसकी ओर से 12 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका था। आगे यह प्रतीत होता है कि वादी ने सीपीसी के आदेश XVIII, नियम 3ए के तहत प्रदान किए गए बाद के चरण में उपस्थित होने के लिए छुट्टी नहीं ली थी। गवाह के रूप में उपस्थित होते हुए, वादी ने अपने मामले के समर्थन में बयान दिया और चौकीदारी रसीदों, एक्सट सहित कई दस्तावेजों को साबित किया। 2/ए से 2/ई। विचारण न्यायालय के समक्ष, एक मुद्दा उठाया गया था कि क्या वादी के साक्ष्य, जिसकी पी.डब्लू. के रूप में जांच की गई थी। 13 ने कोई भार उठाया। ट्रायल कोर्ट ने एक मुद्दा तैयार किया जो इस प्रकार है: -

"क्या सी.पी.सी. के आदेश XVIII के नियम 3ए के अनिवार्य प्रावधान के मद्देनजर पी.डब्लू. 13 के रूप में वादी के साक्ष्य का कोई महत्व है।"

ट्रायल कोर्ट ने 1978 BLJR 600 में रिपोर्ट किए गए फैसले के आधार पर यह माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII का नियम 3A अनिवार्य था, इसलिए, यह माना गया कि P.W. 13 के बयान साक्ष्य का हिस्सा नहीं बनने का निर्णय लिया गया। विचारण न्यायालय के अनुसार, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य ने वादी के मामले को साबित कर दिया और, अन्ततः वाद डिक्री कर दिया गया।

27. सीपीसी के आदेश 18 के नियम 3ए के दूसरे भाग के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, उक्त निर्णय, वर्तमान मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों के विपरीत होगा, और इसलिए इसे पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा तय किया गया बाध्य नहीं कहा जा सकता है, जिसे वर्तमान मामले की परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा पहलू था जिस पर अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय विचार किया जा रहा था।

28. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक और फैसले का संदर्भ दिया था, 2004 (सुप्रीम) पंजाब और हरियाणा पृष्ठ 328 "गुरमैल चंद बनाम अशोक वर्मा" वास्तव में इस रिट याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दिनांक 12 फरवरी, 2004 के आदेश के निहितार्थों पर विचार कर रही थी, जिससे सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत निहित प्रावधानों को आधार बनाते हुए वादी के गवाहों की परीक्षा के अनुक्रम के रूप में उठाई गई आपत्ति के माध्यम से प्रतिवादी आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

29. वास्तव में, यह निर्णय भी एक अलग तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत होता है, बल्कि इस निर्णय को स्वयं प्रतिवादी के मामले के खिलाफ पढ़ा जा सकता है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विचार के मुद्दे को अस्वीकार कर दिया गया था के खिलाफ आपत्ति के संबंध में सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत आवेदन, जो वर्तमान मामले की परिस्थितियों में लागू होने वाली समान परिस्थितियों में नहीं हो सकता है, और निर्णय के पैरा 5 में की गई टिप्पणियों के अनुरूप पढ़ा गया है। पूर्वोक्त निर्णय के पैराग्राफ 1 और 5 को यहां उद्धृत किया गया है:-

"1। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर यह याचिका सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चंडीगढ़ द्वारा पारित 12.2.2004 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करती है, जिसमें प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें अनुक्रम के संबंध में आपत्ति उठाई गई थी। यह उल्लेख करना उचित है कि वादी-प्रतिवादी ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया है, जो कथित रूप से उसके स्वामित्व वाली वाद भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक रहा है। वादी-प्रतिवादी ने पहले गवाह को पेश किया है जिसकी 12.6.2003 को मुख्य परीक्षा की गई थी और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और 5.9.2003 को उनकी जिरह की गई थी। तत्पश्चात वादी-प्रतिवादी ने एक अन्य गवाह का भी परीक्षण किया, विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश निम्नानुसार है:

"सुना गया। निश्चित रूप से सीपीसी के आदेश XVIII नियम 3ए के प्रावधानों में पक्षकार को उसके शेष गवाहों की जांच करने से पहले उसकी जांच करने की आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक है कि जब ऐसा नहीं किया जाता है, तो अदालत कारण दर्ज करेगी। हालांकि, तत्काल मामले में , पहले गवाह का 12.6.2003 को मुख्य परीक्षण किया गया था और दोनों अवसरों पर प्रतिवादी के एलडी वकील के अनुरोध पर उनकी जिरह को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, PW1 की जिरह 5.9.2003 को की गई थी। हालांकि मामले को स्थगित कर दिया गया था 13.11.2003 पीडब्ल्यू के लिए लेकिन उस दिन मामला फिर से 22.12.2003 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लागत का भुगतान। याचिकाकर्ता के लिए एलडी वकील द्वारा दिए गए उपक्रम पर, पीडब्लू के लिए मामला 22.12.2k3 के लिए स्थगित कर दिया गया है। रुपये 500/- के भुगतान के अधीन प्रतिवादी के वकील को उसी दिन 500/- रुपये की लागत प्राप्त हुई। चूंकि दिनांक 22.12.2003 को अधोहस्ताक्षरी छुट्टी पर थे, इसलिए मामला 12.2.2004 तक के लिए स्थगित कर दिया गया यानी आज के लिए। दिनांक 13.11 के बीच .2003, प्रतिवादी ने वर्तमान आवेदन को स्थानांतरित किया। मेरे दिमाग में, यदि प्रतिवादियों के पास कोई था वादी की परीक्षा के अनुक्रम के संबंध में शिकायत, उसे पहले गवाह की परीक्षा के दिन या दूसरे गवाह की परीक्षा के समय सुनवाई की अगली तारीख पर भी आपत्ति करनी चाहिए थी। उन्होंने पहले गवाह से भी जिरह की और आगे रुपये की लागत को स्वीकार किया। 500/- क्योंकि उस दिन वादी का कोई गवाह नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने वादी गवाह की परीक्षा के लिए बार-बार स्थगन की भी मांग की। अब लागत प्राप्त करने और दो गवाह बॉक्स देने के बाद, प्रतिवादी को अपने स्वयं के कृत्य और इस बिंदु को उठाने के लिए आचरण से रोका जाता है, और अधिक तब जब वादी अपनी परीक्षा के लिए अदालत में उपस्थित होता है। तदनुसार आपत्ति अस्वीकार की जाती है।"

5. विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि मुझे वादी को गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था, ने मुझे प्रभावित नहीं किया है क्योंकि वादी अपने स्वयं को गवाह के रूप में उपस्थित होकर वाद में किए गए अभिकथनों को साबित कर सकता है। केवल, क्योंकि गवाहों की सूची में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि गवाहों की परीक्षा के क्रम के संबंध में आपत्ति उठाने का अवसर खो गया है, इसके अलावा नियम 1ए के साथ पठित आदेश XVI नियम 1(3) के तहत, एक गवाह को हमेशा बिना बुलाए पूछताछ की जा सकती है और यह ऐसे गवाह की गवाही को खारिज करने के लिए वैध आधार नहीं होगा। इस संबंध में विद्याधर बनाम माणिकराव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। MANU/SC/0172/1999 : 1999(3) S.C.C. 573 (PP 588-589 पर)। इसलिए, तर्क बिना किसी योग्यता के है।

30. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने 1989 (सुप्रीम) जम्मू और कश्मीर पृष्ठ 127 "रोमेश कुमार बनाम चमन लाल", जिसके तहत जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ उस स्थिति पर विचार कर रही थी जहां दुकान से बेदखली का मुद्दा उप न्यायाधीश के समक्ष विचार का विषय था, जहां विवाद की संभावना से विचार किया जा रहा था। सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए की व्याख्या की जानी चाहिए, जो इस स्थिति से निपट रहा था कि, जहां पार्टी खुद गवाह के रूप में पेश होना चाहती है, चाहे वह किसी अन्य गवाह की जांच से पहले पेश हो।

31. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 2 कहा गया है कि, गवाह में खुद की परीक्षा कराने वाला पक्षकार यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो अन्य गवाहों की परीक्षा से पहले न्यायालय की अनुमति के पश्चात्, उसे बाद के चरण में पूछताछ करने से नहीं रोका जाता है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 2 को यहां उद्धृत किया गया है:-

“2। मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। इस मामले में वर्तमान में विवाद आदेश 18 की व्याख्या के संबंध में है। नियम 3-ए, सी.पी.सी. कानून के इस प्रावधान के अनुसार,जहां कोई पक्षकार स्वयं कोई साक्षी के स्प में उपसंजात होना चाहता है वहां वह उसकी ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने के पहले उपसंजात होगा, किन्तु यदि न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जाऐंगे, उसे पश्चात्वर्ती प्रक्रम में स्वंय अपने साक्षी के रूप में उपसंजता होने के लिए अनुज्ञात करे तो वह बाद में उपस्थित हो सकेगा। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानून का यह प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है क्योंकि "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके अनुसार वादी को अन्य गवाहों को पेश करने से पहले अपने स्वयं के गवाह के रूप में पेश होना था। उनका आगे का तर्क यह है कि वादी ने अपने गवाहों की जांच के बाद अपना बयान दर्ज करने के लिए ठोस कारण नहीं दिए हैं और अदालत के उसे गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति देने का आदेश इस प्रकार कानून के उपरोक्त प्रावधान के खिलाफ है, प्रतिवादी के विद्वान वकील दूसरी ओर, ने तर्क दिया है कि प्रक्रियात्मक कानून प्रकृति में अनिवार्य नहीं हो सकता है और उपरोक्त नियम 3-ए प्रकृति में निर्देशिका है क्योंकि यह एक पक्ष को अदालत की अनुमति के साथ बाद के चरण में अपने

स्वयं के गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति देता है जिसके लिए केवल कारण दर्ज किए जाने हैं और वर्तमान मामले में वादी ने इसके लिए पर्याप्त कारण दिखाए हैं।"

32. वहीं, सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के प्रावधानों को निर्देशिका मानते हुए, सीपीसी के नियम 3ए का दूसरा भाग, न्यायालय की अनुमति मांगने के चरण का, जिसके लिए केवल एक कारण अदालत द्वारा दर्ज किया जाना है, व्यक्ति के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए एक शर्त के रूप में माना गया है या एक गवाह के रूप में कार्यवाही का पक्षकार जो खुद की जांच करना चाहता है, और वह भी गवाहों की रिकॉर्डिंग के बाद, जो कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे। इसलिए, यह निर्णय भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह उस संदर्भ में मुद्दे से निपट नहीं रहा था, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि क्या कार्यवाही के लिए किसी पक्ष को अनुमति दी जा सकती है या नहीं। प्रतिवादी के स्वयं के बयान की रिकॉर्डिंग से पहले गवाहों की सूची में शामिल प्रतिवादियों के अन्य गवाहों के गवाह की रिकॉर्डिंग के बाद एक बाद के चरण में जांच की जाएगी, और वह भी अदालत की अनुमति के बिना, जो विशेष रूप से अनिवार्य था सीपीसी के आदेश 18 के नियम 3ए के तहत।

33. इसलिए, इस निर्णय में भी, अदालत द्वारा पूर्व अनुमति की आवश्यकता के निहितार्थ पर विचार नहीं किया गया है और वह भी उन कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता के संबंध में है जो प्रतिवादी को मौखिक गवाही को जोड़ने के बाद अपना बयान दर्ज करने की अनुमति देते हैं।

34. इस न्यायालय का मानना है कि उपरोक्त निहितार्थों पर विचार करने के बाद, सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय एक अपवाद को तैयार किया जाना चाहिए, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। :- एक गवाह की रिकॉर्डिंग, जो कार्यवाही का पक्षकार नहीं है, हालांकि आदेश 18 के तहत ही अनुमन्य है, लेकिन मुद्दा किस स्तर पर होगा, ऐसे गवाह का बयान जो कार्यवाही के लिए पार्टी नहीं है, पर विचार किया जा सकता है। कार्यवाही के एक पक्ष के बयान की रिकॉर्डिंग से पहले गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग, जिसका नाम बाद के चरण में गवाहों की सूची में शामिल है, मेरा विचार है कि आदेश 18 नियम का दूसरा भाग सीपीसी का 3ए प्रकृति में अनिवार्य है, किसी स्थिति में या किसी दिए गए मामले में, जहां मुकदमे में, जहां गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, जो कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं, गवाह के बयान दर्ज करने से पहले दर्ज किए जाते हैं, जो पक्ष है कार्यवाही, बयान की बाद की रिकॉर्डिंग हालांकि पूरी तरह से वर्जित नहीं है, लेकिन सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत निहित पूर्व शर्तों को पूरा करने के बाद ही इसका सहारा लेने की अनुमति दी जा सकती है, और इसलिए नियम 3ए का दूसरा भाग सीपीसी, एक मिसाल होगी और यह विधि आयोग की रिपोर्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रक्रियात्मक अनिवार्यता होगी, जिसका उद्देश्य सीपीसी के आदेश 18 में नियम 3ए को उसकी 54वीं रिपोर्ट के अनुसार शामिल करना है।

35. मामले को देखते हुए सीपीसी के आदेश 18 नियम 3ए के तहत वादी पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को खारिज करने का आक्षेपित आदेश कानून की नजर में गलत है। अतः आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षण स्वीकृत किया जाता है। हालांकि, एक अपवाद के साथ कि चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, कि डीडब्ल्यू1 और डीडब्ल्यू2, जो कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं, के बयान दर्ज करने के बाद डीडब्ल्यू3 के रूप में प्रतिवादी के बयान की रिकॉर्डिंग में कोई पूर्ण रोक नहीं है, उक्त अनुमति डीडब्ल्यू 3 को अपना बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय द्वारा दी जा सकती है, जिसके पश्चात ही डीडब्ल्यू 3 अपने बयान दर्ज करा सकेगा।

36. पूर्वोक्त अपवाद के अधीन, पुनरीक्षण स्वीकृत किया जाता है।

एनआर/
(शरद कुमार शर्मा, जे.)
17.08.2022